

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

समस्तीपुर डेयरी, समस्तीपुर

पत्रांक: गुन नियंत्रण शाखा: 3483

दिनांक: 23.09.2026

निविदा सूचना

समस्तीपुर डेयरी अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) शाखा/विभाग के कार्य-निष्पादन, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के लैब सैंपल संग्रहण, जाँच एवं क्षेत्र भ्रमण/पर्यवेक्षण कार्यों हेतु एक बोलेरो / स्कार्पियो या समतुल्य वाहन (चालक सहित) की आवश्यकता है।

अतः इच्छुक गाड़ी मालिक / संवेदकों से उपरोक्त कार्य के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने हेतु आवेदन बंद लिफाफे में दिनांक 05.10.2026 के अपराह्न 03:00 बजे (P.M.) तक आमंत्रित किया जाता है।

सभी प्राप्त आवेदनों को निविदादाता (यदि उपलब्ध रहेंगे) के समक्ष निविदा कमिटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 05.10.2026 को ही खोला जाएगा एवं न्यूनतम दरवाले संवेदक से समझौता वार्ता के पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जाएगा । निविदा निम्नांकित शर्तों के अनुसार जमा किया जाएगा

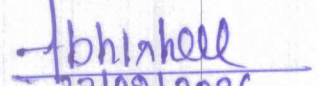
मुख्य नियम एवं शर्तें (बिहार DTO / गव्य विकास मानक अनुसार):

1. वाहन का प्रकार: गाड़ी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होनी चाहिए (कमर्शियल नंबर अनिवार्य)।
2. मॉडल व स्थिति: गाड़ी 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए (अर्थात 2016 मॉडल या उसके बाद की)।
3. वैध कागजात (Bihar DTO Rules): गाड़ी से संबंधित सभी कागजात यथा - आर०सी० (Owner Book), अद्यतन इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण (PUC) एवं परमिट (Permit) अद्यतन होने चाहिए तथा एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। एक निविदाता एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं परन्तु एक गाड़ी के लिए एक ही आवेदन मान्य होगा।
4. चालक एवं ईंधन: गाड़ी सही हालत में डीजल, मोबिल एवं दक्ष चालक (वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारक) के साथ ससमय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
5. सेवा की अवधि: गुणवत्ता नियंत्रणशाखा की आवश्यकतानुसार गाड़ी की सेवा 24 घंटे में कभी भी ली जा सकती है। कार्यालय अवकाश के दिन भी आवश्यकता पड़ने पर सेवा ली जाएगी।

6. एयर कंडीशनर व ओडोमीटर: लैब सैंपल तथा संवेदनशील सामग्री के परिवहन हेतु गाड़ी में एयर कंडीशनर (A/C) सही ढंग से चालू होना अनिवार्य है। गाड़ी का स्पीडोमीटर एवं ओडोमीटर में सही अवस्था में रहना अनिवार्य होगा।
7. दर का अंकन: निविदा आवेदन में निम्नांकित रूप से दर अंकित करना अनिवार्य होगा:
 - (क) प्रति कार्य दिवस भाड़ा (रुपये में)
 - (ख) 01 लीटर डीजल के भुगतान पर कितना किलोमीटर चलेंगे
8. ईंधन दर: डीजल का मूल्य प्रचलित निर्धारित चांदना पेट्रोल पंप समस्तीपुर की दर से भुगतेय होगा।
9. अनिवार्य दस्तावेज़: आवेदन में आवेदक अपना आधार, पैनकार्ड एवं बैंक खाता विवरण (Canceled Cheque / Passbook) संलग्न करेंगे।
10. सुरक्षा व दायित्व: यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटना, चालान या किसी भी कानूनी विवाद की संपूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
11. अंतिम निर्णय: बिना किसी प्रकार का कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशानुसार

विश्वासभाजन


23/09/2026
गुण-नियंत्रण
शाखा प्रभारी

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक, मधुस, समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ
2. प्रभारी, गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) शाखा, समस्तीपुर डेयरी
3. नोटिस बोर्ड, समस्तीपुर / दरभंगा / मधुबनी / रोसड़ा